



INDERPRASTHA EDUCATION COLLEGE

(Approved by NCTE & Affiliated to M.D.U Rohtak)

Jind Bye Pass, ~~Rohtak~~, Rohtak

M. : 9416176515, 9034610000

Website : www.ipcolleges.com E-mail : ipcrohtak@gmail.com

Ref. No. 1PEC/2025/

Date 22/01/2025

To
Superintendent Colleges
M.D.University.
Rohtak

Subject: - Advertisement published in NEWS papers for recruitment of Teaching and non teaching staff in regular B.Ed course

Respected Sir

It is with reference to our advertisement in Newspapers Dainik Tribune and The Times of India dated 17.01.2025 (Copy attached) and Dainik Savera dated 22.01.2025 (copy attach) for recruitment of Teaching and Non Teaching Staff. We are interested to appoint eligible teaching and non teaching staffs our B.Ed course.

d/e Sudesh

Principal
Inderprastha Education College
Rohtak

गुरुग्राम में 300 मकान का बताओ नोटिस, अवैध निर्माण

गुरुग्राम, 16 जनवरी (एम)

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण और ज्वाबसायिक गतिविधियों के संचालन पर 300 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मकान मालिकों को दिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन किया है। यदि मकान मालिकों द्वारा दिए गए जवाब में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो उनके मकानों के कब्जा प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, तहसीलदार को इन मकानों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। अब तक इस फेज में 1438 मकानों को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि

डीएलएफ फेज-1 से लेकर किया गया है, जिसमें 4200 निर्माण की पहचान की गई मालिकों को 31 जनवरी तक नोटिस जारी कर दिया जाएगा बताया कि कुछ मकान मालिकों स्विकार नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके मकानों के बाहर चरने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा में बुधवार को सुनवाई हुई। अडीटीपीई को यह बताना होगा कि मकानों में हुए नियमों के उल्लंघन किया जा सकता है। इस रिपोर्ट हाईकोर्ट की तरफ से फैसला अगली सुनवाई 23 जनवरी को जमीन को कराया गया अतिक्रमण इसके अलावा, गुरुग्राम महानगर प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सर्वेक्षण

नेशनल बॉक्सिंग में मिताथल के मुक्केबाजों ने जीते पदक



गांव मिताथल के पदक विजेता खिलाड़ी अपने कोच के साथ। -रूप

मिताथली, 16 जनवरी (एम)

उत्तर प्रदेश के बरेली में 6 से 13 जनवरी तक आयोजित हुई पुरुषों की 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गांव मिताथल के सचिन सिवाच ने स्वर्ण पदक व 85 किलोग्राम भार वर्ग में इसी गांव के जुगनु ने रजत पदक जीत कर गांव व जिले का नाम पूरे प्रदेश व देश में रोशन किया।

खिलाडिष्टों का गांव में पहुंचने पर खिलाडिष्टों, खेल प्रेमिया व गणमान्य व्यक्तियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि नरेश उर्फ नेशी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जयवीर सिवाच, कोच साधु, एसआई सुधीर, मा. पवन मिताथल, देवा पहलवान, पवन पहलवान, मा. जगत सिंह, नरेन्द्र, राजेश भोजा, भीम अवाडी बॉक्सर सुनील सिवाच, भीम अवाडी बॉक्सर दिनेश आदि ने बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की।

काई ध्यान

गुरुग्राम, 16 जनवरी (एम)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डार ने गुरुग्राम में चरमराई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं हत्या, कहीं अपहरण तो कहीं घर पर गोलियां चलाकर दहशत फैलाई जा रही है। भाजपा सरकार भी साइबर सिटी गुडगांव को तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। यहां जारी बयान में पंकज डार ने कहा कि गुरुग्राम के अपराधिक घटनाएं हो रही हैं। चोरी, छीना-झपटी की घटनाएं होना तो आम बात है। गुरुग्राम पुलिस का फोकस सुरक्षा से अधिक चालान काटने पर रहता है। बदमाश अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर चुनौती बन रहे हैं। वाहन चोरी की घटनाएं भी खूब हो रही हैं। जब पूरा शहर सीसीटीवी से लैस है और 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। सड़कों पर दबंग गाड़ियों

को लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ऐसे काम करते हैं। पंकज डार ने कहा कि मुख्यमंत्री बदमाशों को हरियाणा छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार पुलिस विभाग से कोई जवाब-तलब नहीं कर रही। एक तरह से सुरक्षा राम भरोसे है। पंकज डार ने कहा कि सरकार को पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। यह स्पष्टीकरण लेना होगा कि जिस शहर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने की बातें कही जाती हैं, वहां पर अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। डायल 112 लापु होने के बाद पुलिस कदम-कदम पर तैनात रहती है, फिर भी अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम सिर्फ बातों और वागजों में नहीं होना चाहिए। उस स्तर की यहां सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सुरक्षा तंत्र होना चाहिए। सरकार दाव तो करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कहीं नजर नहीं आता।

होगा गुप्ता अपराध के केस

फरीदाबाद सेक्टर-12 के सामने सड़क दुर्घटना के शिकार हुए गुरुग्राम के सचिन सिवाच को अपराध के केस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नरियों को अपने कार्यालय जा रहा है और योग्य समय टाउन अधिकारियों को हो एक तेज रफ्तार के केस सौंपे गये हैं। को जोरदार गया कि फरीदाबाद के इतनी तेज शक्ति का पदभार संभालने तरह क्षतिग्रस्त उनके द्वारा अपराध पर के कारण माने के लिए दोषहिया नजदीकी निको की चेंकिंग आरम्भ कराया गया है। चेंकिंग के दौरान 15 गेट पर तैनात के बीच के शरारती यह दुर्घटना वानों को चेक किया जा स्पीड ब्रेकर टूट, स्नीचिंग की वारदातों कारण हुई। पु सामने आता है कि इस पहुंचकर तेज दातों में दोषहिया वाहन हिरासत में लौलपतता रहती है। जिस की जांच जारीरह की चेंकिंग आरम्भ

गुप्ता अपराध के केस

यदि किसी व्यक्ति को आशंका है कि वह अपने संपत्ति/मकान को इस्तेमाल संबंधी कोई एतराज है तो यह उस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर संपदा अधिकारी-2, एचएसबीए, सेक्टर-24, गुरुग्राम को कार्यालय में उचित प्रमाण सहित लिखित रूप में अपने एतराज ज्ञान के अन्वेषण उस संपत्ति एचएसबीए की वेब अनुसर संस्था अधिकारी द्वारा हस्तांतरित, पुनः अनाउन्स कर दी जाएगी और बाद में किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

कानूनी सचिव वकील/न्यायाधीश के अलावा पर :
श्रीमती गनीत गांधी (पत्नी)
संपदा अधिकारी-2, एचएसबीए,
सेक्टर-24, गुरुग्राम की ओर से।

Transfer Basis (if any legal heirs) or any person (where having any objection against the transfer of ownership of said flat, the objector/s) can submit the objection in this office i.e. D/o Estate Manager, Housing Board Haryana, office complex, 5th Floor, Flat No. 147 Sector 44, Gurugram in writing along with supporting documents within 15 days of the publication of this notice. If no objection is received within 15 days of publication of this notice in aforesaid manner, the permission for transfer shall be granted after the expiry of 15 days and no objection of any kind will be entertained after 15 days.

**Estate Manager
Housing Board Haryana, Gurugram**

INDERPRASTHA EDUCATION COLLEGE
(B.Ed. College) Recognized by NCTE & affiliated to MDU, Rohtak
Jind Bypass, Rohtak
M. 9034610000, 9416176515 | Email: ipecrohtak@gmail.com

REQUIRES
REGULAR STAFF REQUIRED FOR B.ED.:
Principal-1, Asstt. Professor in Perspective in Edu.-2, Asstt. Professor in Pedagogy Subjects: English 1, Commerce 1, Hindi 1, Physical Science-1, Life Science -1, Mathematics -1, Economics-1
Social Studies-2, Health and Phy.-1, Fine Arts-1 & Performing Arts-1
Administrative Staff : Librarian-1, Asst. Librarian-1, Lab Attendant-1, Office cum Account Assistant-1, Peon-1

Note Qualifications, & Pay Scales as per NCTE/MDU Rohtak latest norms.
Apply in duplicate with attested copies of all documents and two recently colored photographs within 21 days of advertisement. One set of application along with all documents should be submitted in the office of college and other set of application should be sent to the Dean of Colleges/DCDC, MDU Rohtak by Registered Post also.

President, Inderprastha Education College

